

राजस्थान विधान सभा
दशम् सत्र
कार्य-सूची
गुरुवार, दिनांक 07 मार्च, 2013
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. शोकाभिव्यक्ति

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी :-

- 1- श्री चेताराम मीणा, सदस्य, पॉचवी एवं सातवीं राजस्थान विधान सभा ।
- 2- हैदराबाद में आतंकवादियों द्वारा किये गये बम विस्फोट के मृतक ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 24.1.2013 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 विरचित किये गये हैं ; एवं
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 24.1.2013 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 दिनांक 26 जनवरी, 2013 से लागू किये गये हैं ।

आबकारी विभाग

II- श्री राजेन्द्र पारीक, आबकारी मंत्री, आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आबकारी/2012-पार्ट-1 दिनांक 15.2.2013, जिसके द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति का 110 प्रतिशत से अधिक उठाव किये जाने पर अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के 100 प्रतिशत से अधिक उठाई गई मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, सदन की मेज पर रखेंगे।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

(I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री , विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा- 104 (4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2007-2008 के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी सदन की मेज पर रखेंगे ।

- (II) श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-
- 1- वित्त अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन।
 - 2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012.
- (III) डॉ० दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री, कोटा विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 एवं 2011-2012 सदन की मेज पर रखेंगे।

4. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री श्रवण कुमार, सभापति, पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, 2012-2013, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान (सामान्य ऋण, न्यू स्वर्णिम ऋण, मार्जिन मनी ऋण, शिक्षा ऋण, महिला समृद्धि ऋण, स्वयं सहायता समूह ऋण, स्वयं सक्षम ऋण) एवं उनके सर्वांगीण विकास के संबंध में किये जा रहे कार्य-कलापों से संबंधित पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, 2012-2013 के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

5. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

डॉ० रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 29वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 29वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

6. याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अर्जुन लाल, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मरूधर केसरी राज. रैफरल चिकित्सालय बिलाड़ा/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपाड़ा शहर/बोरुंदा एवं पीएचसी खारिया मीठापुर में चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति बाबत ।

- 2- बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन बिलाड़ा-खारिया मीठापुर (बाईपास) एनएच-112 पर स्थित खारिया मीठापुर से पिचियाक (किमी 36/0 से 52/0) के निर्माण एवं नवीनीकरण के नहीं करने से उत्पन्न स्थिति बाबत् ।
- 3- माणकलाव –दांतीवाड़ा से बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर नगरपालिका क्षेत्र सहित 119 गांवों को पीने का पानी (पेयजल) उपलब्ध कराने की योजना को तीव्र गति से प्रारम्भ कर शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने बाबत् ।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्यमंत्री, प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य देंगे ।

8. आधे घण्टे की चर्चा

डॉ० जसवन्त सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा के शराब ठेकेदारों से बकाया राजस्व की वसूली विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 82(599/आबकारी) का उत्तर, जो दिनांक 27 फरवरी, 2013 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर डॉ० जसवन्त सिंह यादव, सदस्य विधान सभा आधे घण्टे की चर्चा उठाएंगे ।

9. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) वर्ष 2012-2013 का उपस्थापन

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री वर्ष 2012-2013 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करेंगे ।

10. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014

प्रथम अवस्था

सामान्य वाद-विवाद

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014 पर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

(विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी जाने वाली सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जायेगी)

पी. के. शास्त्री
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,

जयपुर ।

दिनांक : 06 मार्च, 2013